पत्रांक–योजना बजट–88/2007 (खण्ड) /प०व०

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक :–......./01/2016

विषय :– वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक संलग्न परिशिष्ठ–1 के अनुरूप राजधानी वाटिका भाग–3 के विकास एवं सौन्दर्यीकरण का प्रारंभिक कार्य तथा राजधानी वाटिका भाग–2 के उन्नयन कार्य के साथ–साथ रोज गार्डेन में पथ एवं रेलिंग विकास हेतु भवन योजना अन्तर्गत कुल ₹ 534.05 लाख (पाँच करोड़ चौंतीस लाख पाँच हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसके तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹ 310.28 लाख (तीन करोड़ दस लाख अठाईस हजार रूपये मात्र) के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक संलग्न परिशिष्ठ–1 के अनुरूप राजधानी वाटिका भाग–3 के विकास एवं सौन्दर्यीकरण का प्रारंभिक कार्य तथा राजधानी वाटिका भाग–2 के उन्नयन कार्य के साथ–साथ रोज गार्डेन में पथ एवं रेलिंग विकास हेतु क्रियान्वित करने के लिए भवन योजना अन्तर्गत कुल ₹ 534.05 लाख (पाँच करोड़ चौंतीस लाख पाँच हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसके तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹ 310.28 लाख (तीन करोड़ दस लाख अठाईस हजार रूपये मात्र) के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस राशि की निकासी मुख्यशीर्ष–4406–वानिकी तथा वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष–01–वानिकी, लघुशीर्ष–070–संचार तथा भवन, मांग संख्या–19 उपशीर्ष–0102–भवन, विपत्र कोड–P4406010700102 के विषयशीर्ष–27 01 लघु कार्य के अंतर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना होंगे और उनके संबद्ध जिला कोषागार/उप कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी।

4. विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक–21.12.2015 की कार्यवाही ज्ञापांक–3901 दिनांक–22.12.2015 द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा एवं प्रस्ताव में संचिका के पृ०–65/टि० पर दिनांक–05.01.2016 पर माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

5. प्रारूप में संचिका के पृ०–67/टि० पर दिनांक–12.01.2016 को आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

7. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. कार्य स्थल पर कार्यों के नियमित पर्यवेक्षण का कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा तथा योजना क्रियान्वयन का अनुश्रवण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहर, पटना द्वारा किया जायेगा।

9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराया गया प्राक्कलन जो परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप ही योजनाओं को पूर्ण किया जायेगा। यदि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो इसके लिए कार्यान्वयन एवं निरीक्षण/पर्यवेक्षण में संलग्न पदाधिकारियों की जिम्मेवारी होगी।

10. इस योजना में दिये गये प्रथम अग्रिम से कार्य योजना की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति से पूर्णतः संतुष्ट होने तथा इसकी प्रविष्टि मापी पुस्तिका में हो जाने तथा तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा अग्रिम की अगली किस्त निर्गत की जायेगी तथा स्वीकृत राशि के विरूद्ध कराये गये कार्यों का स्वयं संतुष्टि एवं स्थल जाँच संबंधी प्रमाण–पत्र संधारित किया जायेगा तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

11. कार्य स्थल पर आम जनसाधारण की जानकारी एवं पारदर्शिता के निमित्त योजना की विवरणी का निर्धारित माप दण्ड के अनुसार सूचना पट्ट पर इसे प्रदर्शित किया जायेगा।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट–88/2007 (खण्ड) 119 /प०व० पटना–15, दिनांक–13/01/2016

<u>प्रतिलिपि :–</u> (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके सम्बद्ध कोषागार पदाधिकारी/मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/आई०टी० मैनेजर/बजट शाखा (दो प्रतियों में), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/1/16
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

(भौतिक एवं वित्तीय का अनुमनित प्राक्कलन)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्राक्कलित राशि		कुल राशि
		2015–16	2016–17	
1	गेट का निर्माण	3587800	200000	3787800
2	वाटिका में पथ का निर्माण			
	क. सैंड स्टोन	.		0
	ख. पी.सी.सी.	3500000	1477100	4977100
		3500000	1417100	4917100
3	कलाकृति का निर्माण (डायनासोर का निर्माण)	0	1975000	1975000
4	वाटर फॉल का निर्माण	0	2625000	2625000
5	फाउटेंन का निर्माण	0	1500000	1500000
6	दर्शक शेड का निर्माण	500000	602500	1102500
7	दर्शकों के लिए प्रसाधन सुविधा	1500000	400000	1900000
8	खान–पान की सुविधा (कैफेटेरिया का निर्माण)	1500000	2175000	3675000
9	पीने का पानी की सुविधा (वाटर कुलर एवं पानी निकास व्यवस्था)	0	450000	450000
10	दर्शकों को बैठने की सुविधा	630000	330000	960000
11	टिकट घर का निर्माण	700000	0	700000
12	सेंड गेम (रोप टाईप) का निर्माण	0	1050000	1050000
13	बच्चों के मनोरंजन के लिए खेल–कुद सामग्री	0	3000000	3000000
14	लैंड स्केपिंग 9 हजार वर्ग मीटर एवं 20 हजार वर्ग मीटर में घास के लॉन का विकास	6000000	1500000	7500000
15	बड़े पौधे एवं पुष्प पौधे लगाने का कार्य	261000	1239000	1500000
16	पटवन की व्यवस्था (पम्प हाउस, बोरिंग एवं पटवन हेतु पाईप बिछाना)	1500000	0	1500000
17	हाईमास्ट लाईट की व्यवस्था	1784000	0	1784000
18	पथों के किनारे प्रकाश व्यवस्था डिजाईनर पोस्ट के साथ	300000	487500	787500
19	बिजली केबुल बिछाने का कार्य	750000	0	750000
20	पार्किंग की व्यवस्था	0	1500000	1500000
	कुल	**26012800**	**21928200**	**47941000**
	विविध व्यय (कुल राशि का दो प्रतिशत)	530000	448820	978820
	राजधानी वाटिका 3 के लिए प्राक्कलित राशि	**26542800**	**22377020**	**48919820**
	राजधानी वाटिका–1 एवं 2 में दर्शकों की सुविधा विकास एवं उन्नयन			
	(क) पम्प हाउस का निर्माण	**2130372**	**0**	**2130372**
	(ख) प्रसाधन का निर्माण	878061	0	**878061**
	(ग) रोज (गुलाब) गार्डेन में गेट, रेलिंग एवं पथ इत्यादि का निर्माण	**735000**	**0**	**735000**
	(घ) तालाब का जीर्णोद्धार	741612	0	**741612**
	कुल	**4485045**	**0**	**4485045**
	सकल योग	**31027845**	**22377020**	**53404865**
		पॉच करोड़ चौतीस लाख चार हजार आठ सौ पैसठ रू. मात्र		

इस योजना में कुल व्यय 53404865 रू. प्राक्कलित है। योजना के क्रियान्वयन के दौरान योजना के वित्तीय एवं भौतिका कार्य/लक्ष्य में बदलाव सम्भव है, जिसका वास्तविक आकलन योजना के क्रम में तय किया जा सकेगा एवं तदनुसार योजना पुनरीक्षित की जायेगी।

वन क्षेत्र पदाधिकारी,
पटना विशेष, प्रक्षेत्र

उप वन संरक्षक,
क्षे.मु.व. कार्यालय, पटना

8/10/15
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पटना वन प्रमंडल, पटना

T.S. accorded for Rs. 53404865/- (Rs. Five Crore Thirty four Lakh four thousand eight hundred Sixty five) only

9/11/15

वन संरक्षक,
पटना अंचल, पटना

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
पटना

13/1/16
उप सचिव
पर्यावरण एवं वन विभाग
बिहार, पटना

D:\Vatika-3\Sheet1